

# बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

( अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम )

34, हार्डिंग रोड, ( अली इमाम पथ ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

( Email= bsmfclpatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संख्या:----- नि०/रोजगार ऋण-03-34/2021

पटना, दिनांक: -----

## स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2019-2020 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-15.12.2020 से 13.01.2021 को चयनित वृहत ग्रामीण क्र०सं० 01, एवं वृहत शहरी क्र०सं० 02 ऋण के आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा कटिहार जिला के त्रुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निस्पादित कराकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 02 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	चयन सूची क्र०सं०	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing+ Imbross Charge	Net Payable Amount
1.	67	JUHI PERWEEN, D/o- JAWED ANWER, Vill.-LAGUA, Block-BARSOI, PS-BARSOI, PO-SAHKOLA, Distt.-KATIHAR-855102, Mob no.-7667272288	A/c No.:- 39533320142 SBIN0012649	COMPUTER DUKAN	500000	2500 + 2030 = 4530	495470
2.	24	SHAHNAWAZ ANJUM, S/o- MD WAJAHAT HUSSAIN, Vill.-NEAR CHHOTI MASJID, RAMPARA, Block+ PS+ PO+ Distt.-KATIHAR-854105, Mob no.-9031618176	A/c No.:- 0720104000029467 IBKL0000720	PATHOLOGY LABORATORY	400000	2000 + 2030 = 4030	395970
<b>TOTAL</b>					<b>900000</b>	<b>8560</b>	<b>891440</b>

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

ज्ञाप संख्या: 976

प्रतिलिपि:-सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा/(कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर को एस०एम०एस भेजने हेतु सूची प्रेषित।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक: 17-4-2023

सहायक निदेशक